सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 11, शुक्रवार शाके 1942- मई 1, 2020	
Vaisakha 11, Friday , Saka 1942- May 1, 2020	

भाग 4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 1, 2020

संख्या प.4(5)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020

(2020 का अध्यादेश संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय द्वारा 1 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

महामारी के विनियमन और रोकथाम से संबंधित विधियों को समेकित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "महामारी" से सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा महामारी के रूप में घोषित कोई रोग अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "विनियम" से इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(घ) "नियम" से इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त की गयी हैं और परिभाषित नहीं की गयी हैं, किन्तु राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) में परिभाषित की गयी हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. महामारी को अधिसूचित करने की सरकार की शक्ति.- सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी रोग को या तो सम्पूर्ण राज्य में या उसके ऐसे भाग या भागों में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, महामारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

4. महामारी के संबंध में विशेष उपाय करने और विनियम विनिर्दिष्ट करने की शक्ति.- (1) जब, राज्य सरकार का किसी भी समय यह समाधान हो जाये कि राज्य या उसके किसी भाग में किसी महामारी का प्रकोप हुआ है या होने की आशंका है तब सरकार, ऐसे उपाय कर सकेगी जो वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम या आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी ताकि ऐसे रोग के प्रकोप या उसके प्रसार की रोकथाम की जा सके और जिला कलक्टरों से ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का, जैसाकि उक्त विनियमों या आदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रयोग और पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी या उन्हें सशक्त कर सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित के लिए उपाय कर सकेगी और विनियम विनिर्दिष्ट कर सकेगी,-

(क) किसी प्रथा या कृत्य को, जिसे सरकार राज्य में किसी जमाव, समारोह, उपासना या ऐसे अन्य क्रियाकलापों से व्यक्ति से व्यक्ति में महामारी के प्रसार या फैलने के लिए पर्याप्त समझे, प्रतिषिद्ध करना;

(ख) विनियम या आदेशों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्य में वायु, रेल, सड़क मार्ग या अन्य किसी साधनों से पहुंचने वाले या चिकित्सालय, अस्थायी आवास, घर में क्वारंटीन में या, यथास्थिति, आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों का या अन्यथा ऐसे किसी रोग के संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों का निरीक्षण करना;

(ग) राज्य की सीमाओं को ऐसी कालावधि के लिए, जो आवश्यक समझी जाये, सील करना;

(घ) लोक और निजी परिवहन के प्रचालन पर निर्बंधन अधिरोपित करना;

(ङ) सामाजिक दूरी के मानक या जनता द्वारा अनुपालन किये जाने के अन्य कोई अनुदेश, जो कि इस महामारी के कारण लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे जायें, विहित करना;

(च) सार्वजनिक स्थानों पर और धार्मिक संस्थाओं या उपासना स्थलों में व्यक्तियों के एकत्रित होने को निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करना;

(छ) राज्य में सरकारी और निजी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के कामकाज को विनियमित या निर्बंधित करना;

(ज) दुकानों और वाणिज्यिक और अन्य कार्यालयों, स्थापनों, कारखानों, कार्यशालाओं और गोदामों के कामकाज पर प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित करना;

(झ) आवश्यक सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं जैसेकि बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, जल, ईंधन, इत्यादि की समयावधि को निर्बंधित करना; और

(ञ) ऐसे अन्य उपाय करना, जो महामारी के विनियमन और रोकथाम के लिए आवश्यक हों और सरकार द्वारा विनिश्चित किये जायें।

5. अपराधों के लिए दण्ड.- कोई व्यक्ति/संस्था/कंपनी जो विनियमों या आदेशों द्वारा आबद्ध है, इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये ऐसे किसी विनियम या आदेश का उल्लंघन या उसकी अवज्ञा करता है या इस अध्यादेश के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या, दोनों से, दंडनीय होगा।

6. अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड.- जो कोई इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह उसी रीति से दण्डित किया जायेगा मानो वह अपराध उसने स्वयं कारित किया है।

7. कंपनी द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के कारित किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के दायी होंगेः

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी भी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

8. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्यादेश के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

9. प्राधिकृत अधिकारी.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के अधीन कार्य करने के लिए सक्षम होंगे।

10. प्रत्यायोजित करने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अध्यादेश के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसे अधिकारी, जो उसमें उल्लिखित किया जाये, द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

11. अपराधों का शमनीय होना.- इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय अपराधों का, या तो अभियोजन के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात्, ऐसे प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए, जैसाकि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा।

12. अध्यादेश का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.- इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

13. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अध्यादेश के द्वारा या उसके अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

14. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

15. नियम बनाने की शक्ति.- (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या ठीक अगले सत्रों की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी नियम या विनियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

16. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 31) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अध्यादेश के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 1, 2020

No. F.4(5)Vidhi/2/2020.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Mahamari

Adhyadesh, 2020 (2020 Ka Adhyadesh Sankhyank 1) promulgated by him on the 1st day of May, 2020:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN EPIDEMIC DISEASES ORDINANCE, 2020

(Ordinance No. 1 of 2020)

(Made and promulgated by the Governor on the 1st day of May, 2020)

An

Ordinance

to consolidate the laws relating to the regulation and prevention of epidemic disease and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- (1) In this Ordinance unless the context otherwise requires,-

(a) "epidemic disease" means any disease declared as epidemic disease by notification published in the Official Gazette, by the Government;

(b) "Government" means the Government of Rajasthan;

(c) "regulations" means the regulations made under this Ordinance;

(d) "rules" means the rules made under this Ordinance;

(e) "State" means the State of Rajasthan.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Power of Government to notify epidemic disease.- The Government may by notification in the Official Gazette notify any disease as epidemic disease, for the purposes of this Ordinance, either throughout the State or in such part or parts thereof as may be specified in the notification.

4. Power to take special measures and specify regulations as to epidemic disease.-

(1) When at any time the Government is satisfied that the State or any part thereof is visited by or threatened with an outbreak of any epidemic disease, the Government may take such measures, as it deems necessary for the purpose, by notification in the Official Gazette, specify such temporary regulations or orders to be observed by the public or by any person or class of persons so as to prevent the outbreak of such disease or the spread thereof and require or empower District Collectors to exercise such powers and duties as may be specified in the said regulations or orders.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Government may take measures and specify regulations,-

(a) to prohibit any usage or act which the Government considers sufficient to spread or transmit epidemic diseases from person to person in any gathering, celebration, worship or other such activities within the State;

(b) to inspect the persons arriving in the State by air, rail, road or any other means or in quarantine or in isolation, as the case may be, in hospital, temporary accommodation, home or otherwise of persons suspected of being infected with any such disease by the officer authorized in the regulation or orders;

(c) to seal State Borders for such period as may be deemed necessary;

(d) to impose restrictions on the operation of public and private transport;

(e) to prescribe social distancing norms or any other instructions for the public to observe that are considered necessary for public health and safety on account of the epidemic;

(f) to restrict or prohibit congregation of persons in public places and religious institutions or places of worship;

(g) to regulate or restrict the functioning of offices, Government and private, and educational institutions in the State;

(h) to impose prohibition or restrictions on the functioning of shops and commercial and other offices, establishments, factories, workshops and godowns;

(i) to restrict duration of services in essential or emergency services such as banks, media, health care, food supply, electricity, water, fuel, etc.; and

(j) such other measures as may be necessary for the regulation and prevention of epidemic diseases as decided by the Government.

5. Punishment for offences.- Any person/institution/company who is bound by regulations or orders contravenes or disobeys any such regulation or order made under this Ordinance, or obstructs any officer empowered under this Ordinance, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which

may extend to ten thousand rupees or with both.

6. Punishment for abetment of offences.- Whoever abets an offence under this Ordinance shall be punished in the same manner as if he had himself committed the offence.

7. Offence by a company.- (1) Where an offence under this Ordinance has been committed by a company, every person, who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Ordinance has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm means a partner in the firm.

8. Offences to be cognizable and bailable.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) all offences under this Ordinance shall be cognizable and bailable.

9. Authorized Officer.- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, authorize one or more persons who shall be competent to act under this Ordinance.

10. Power to delegate.- The State Government may by notification in the Official Gazette direct that any power exercisable by it under this Ordinance may also be exercised by such officer as may be mentioned therein, subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

11. Compounding of offences.- The offences punishable under this Ordinance may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such authorities or officers and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

12. Ordinance not in derogation of any other law.- The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law

for the time being in force.

13. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done by or under this Ordinance.

14. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order published in Official Gazette, make provisions not inconsistent with the provisions of this Ordinance as may appear to be necessary for removing the difficulty.

15. Power to make rules.- (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules either prospectively or retrospectively for the purpose of carrying into effect the provisions of this Ordinance.

(2) Every rule and regulation made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the sessions immediately following the House of the State Legislature makes any modification in the rule or regulation or resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

16. Repeal and Saving.- (1) The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957 (Act No. 31 of 1957) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Act shall be deemed to have been done, taken or made under this Ordinance.

कलराज मिश्र,
Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.